

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 01/09/15

संख्या- 1/श्रम वि०ई० 7-7017/2014 खंड 1 श्र०सं० 142 / प्रशासनिक कार्यहित में बिहार कोषागार संहिता के नियम-148 (पुराना) एवं 84 (नया) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तम्भ-3 में उल्लिखित उप प्राचार्यों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा जाता है :-

क्रम सं०	संस्थान का नाम	उप प्राचार्य का नाम
1	2	3
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल	श्री कुमार वैभव
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई	श्री राजीव कुमार
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहियाँ, भोजपुर	श्री परमजय सिंह
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल	मो० अख्तर परवेज
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय	श्री रणविजय कुमार-1

2. ये अपने कार्य के अतिरिक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का भी कार्य करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/ श्रम वि०ई० 7-7017/2014 खंड 1 श्र०सं० 142

पटना, दिनांक-01/09/15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (प्रशिक्षण)/सभी सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित)/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।